सत्यमेव जयते

Goverment Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के अध्यक्ष माननीय श्री अंतरसिंह आर्य द्वारा मध्यप्रदेश के धार जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक प्रतिवेदन

दिनांक: 23 अगस्त, 2024

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003

6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

Tel.: 011-24623958 Fax: 011-24624628 Email: chairperson@ncst.nic.in

अनुक्रमणिका

स.क्र.	विषय	स्थान	पृष्ठ क्र.
1.	**प्रस्तावना**		3
2.	वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति से चर्चा		4
3.	जिला स्तरीय समीक्षा बैठक विवरण		7

माननीय श्री अंतरसिंह आर्य, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 16-08-2024 के क्रम में माननीय श्री अंतरसिंह आर्य, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 23 अगस्त 2024 को मध्यप्रदेश के धार जिले का दौरा किया जिसमें आयोग से श्री प्रकाश कुमार उईके, माननीय अध्यक्ष के सहायक निज सचिव, श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिता की।

आयोग के माननीय अध्यक्ष जी धार जिले के दौरे के लिए सर्किट हाउस पहुंचे जहां जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जिले में आगमन पर उनका स्वागत किया गया उसके पश्चात जिले से आये कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने माननीय अध्यक्ष जी से भेंट कर अपनी समस्याएं एवं जनजाति विषय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

<u>**धार जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय के दौरे का विस्तृत विवरण**</u>

2. वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति के सदस्यों से चर्चा

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने शासकीय महाविद्यालय, धार के सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों के साथ-साथ जनजातीय समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम में धार जिले के वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति के सदस्यों के साथ-साथ कई जनजातीय युवाओं ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोग के श्री प्रकाश कुमार उईके, माननीय अध्यक्ष के सहायक निजी सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष का परिचय देते हुए आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को जानकारी प्रदान दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह से संवाद किया इस दौरान लोगों ने अध्यक्ष जी के समक्ष अपनी-अपनी समस्यायें एवं सुझाव रखे जो इस प्रकार हैं:

1. जिले में पेसा समितियों के माध्यम से क्षेत्र का विकास किया जा सकता है इसके लिए इन समितियों को पेसा कानून का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
2. वन क्षेत्र में ऐसे पेड़-पौधे लगाया जाये जो जनजातीय समुदाय के लिए आजीविका बढ़ाने में सहायक हो।
3. जिले में जनजातिय व्यक्तियों के प्रति जिला प्रशासन के अधिकारियों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक नहीं होता है तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनजातिय समाज के लोगों को परेशान होना पड़ता है।
4. अधिसूचित क्षेत्र में गैर-जनजाति के लोग शराब की दूकाने खोल लेते है तथा नकली शराब बनाकर बेचते है जिससे रोका जाना चाहिए तथा आबकारी विभाग द्वारा जनजातिय परिवारों पर फर्जी शराब की दुकान का प्रकरण बनाकर परेशान किया जाता है।
5. जनजातिय क्षेत्रों में वन विभाग के कामों का सरलीकरण होना चाहिए।
6. जनजातिय क्षेत्रों में दिये जाने वाले मुआवजे का सही आकलन कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
7. पेसा क्षेत्र में पेसा मोबलाईजर काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी उनके काम को मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं। पेसा के काम हेतु कोई ऐसी वेबसाईट बनाई जाये जिससे की पेसा मोबलाईजर के काम एवं गतिविधियों को सहेजा जा सके तथा कार्य की प्रगति सुरक्षित हो सके।
8. जिले में मालीपुरा ग्राम पंचायत की भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधे लगा दिया है।
9. पेसा अधिनियम में 5वीं अनुसूची की जो मंशा है उसके अनुरुप जिला प्रशासन को जनजातिय समुदाय की मदद करनी चाहिए।

10. जनजातिय विषय से जुड़ी योजनाओं, कानून एवं अधिकार की एक बुकलेट सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनजातिय छात्रावासों में वितरित किया जाये जिससे कि इनके प्रति जागरुकता फैलाई जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन

कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पेसा अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। आगे उन्होंने कहा कि 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व जो जनजाति परिवार अपनी भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं उसके दस्तावेज तैयार कर वनमित्र पोर्टल पर ऑनलाईन दावा दर्ज करें। जिले में जनजातीय समुदाय को वनाधिकार के पट्टों के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें डीएफओ, आदिवासी विकास विभाग से एक अधिकारी, एक क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक आयोग से अधिकारी रहेंगे। समिति की निगरानी में वनाधिकार के प्रकरणों की जांच कर पट्टों का वितरण किया जा सकेगा।

3. जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का विवरण

आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री अंतरसिंह आर्य की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय जिला- धार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में

आयोग के दल सहित जिला प्रशासन से श्री प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर, श्री मनोज कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, सविता झनिया जिला पंचायत सीईओ, श्री अशोक

कुमार सोलंकी जिला वन अधिकारी, श्री ब्रजकांत शुक्ल सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे हैं। (बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न)। बैठक में श्री अंकित कुमार सेन द्वारा आयोग के अधिकारियों का परिचय दिया तथा उसके पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों ने अपना-अपना परिचय माननीय अध्यक्ष को दिया।

बैठक में आयोग से श्री अंकित कुमार सेन द्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई, तत्पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी विभागों की क्रमवार जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नावली में भेजी गई जानकारी के आधार पर आयोग द्वारा विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है:

जिले की सामान्य जानकारी

धार जिला मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है तथा जिले की सीमा रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर एवं झाबुआ झाबुआ जिलों से मिलती है। जिले में 56 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है जिसके अंतर्गत भील जनजाति प्रमुख रुप से निवास करती है। धार जिला में कुल 13 विकासखण्ड है जिनमें से 12 जनजातीय विकासखण्ड है। 6 तहसीलें, 764 ग्राम पंचायते, 1625 राजस्व ग्राम है।

जिले की तथ्यात्मक जानकारी:

- **जनसंख्या**: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धार जिला की कुल जनसंख्या 21,85,793 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 12,22,814 (54%) है। जिले में कुल 961 का लिंगानुपात है।
- **शिक्षा:** जिले की कुल साक्षरता का प्रतिशत 58.86% (पुरुष में 68.95 प्रतिशत एवं महिला में 48.77 प्रतिशत) है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की साक्षरता का प्रतिशत 37.62% (पुरुष में 44.72 प्रतिशत एवं महिला में 30.52 प्रतिशत) है।

विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण:

शिक्षा विभाग

- बैठक में जानकारी प्रदान की गई है कि जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन 89 प्रतिशत है तथा विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत 7.5 है। माध्यमिक स्तर पर उपस्थित बच्चों का प्रतिशत 69 है तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत 2.5 है।
- जिले में आश्रमों की संख्या 124 है जिनमें 67 बालकों के लिए तथा 57 बालिकाओं के लिए है। इन आश्रमों में 3660 बालक तथा 3500 बालिकाएं निवासरत है।

- जिले में 115 छात्रावास है जिनमें से 83 बालक तथा 32 बालिकाओं के लिए है। इन छात्रावासों में 4407 बालक तथा 1785 बालिकाएं निवासरत है।
- हाईस्कूल स्तर पर छात्रावासों में निवास करने वाले बालक पर प्रतिमाह 1550 रुपये तथा बालिकाओं पर 1590 रुपये की राशि खर्च की जाती है। 7 (3 बालक के तथा 4 बालिकाओं के लिए) कॉलेज स्तर के छात्रावास है जिनमें 150 बालक तथा 240 बालिकायें निवासरत है।
- जिले में प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड में एक-एक सीएम राईज विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन विद्यालय में पढ़ने वाले लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या लगभग 14000 है।
- जिले में सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित 9 कन्या शिक्षा परिसर है तथा 4 आदिवासी विकासखण्ड में स्वीकृत है।
- जिले में 5एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत है जिनमें 2400 सीटें स्वीकृत है। 1 आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत है जिनमें सीटों की संख्या 245 है।

कृषि विभाग:

- बैठक में कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों की कुल संख्या 1,75,421 है जिनके पास कुल रकबा 2,34,543 हेक्टेयर है।
- जिले में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के कृषकों द्वारा खरीफ मौसम में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, उड़द, मूंग, अरहर, कुल्थी, चवला, मौंठ, तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, एवं अन्य खरीफ की फसलें तथा रबी में गैंहू, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, गन्ना एवं अन्य रबी की फसलें ली जाती हैं।

आवास:

- बैठक में बताया गया कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,01,519 प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) स्वीकृत हुए है जिनके निर्माण के लिए 1,21,822.80 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई है।
- जिले में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) हेतु कुल 17,769 आवास स्वीकृत हुए है जिनमें से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 5814 आवास स्वीकृत हुए हैं।

  बैठक में यह भी बताया कि जिले में कुछ अपूर्ण आवासों के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि दी जानी चाहिए।
- बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि लाड़ली बहना के आवास हेतु अभी तक कोई लक्ष्य नहीं दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग:

- बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में 1 जिला चिकित्सालय, 4 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 सिविल डिस्पेंसरी, 474 उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थायें संचालित है।
- बैठक में बताया कि जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा लगभग 2100 पद स्वीकृत है जिनमें से जिला चिकित्सालय में 46 पद रिक्त है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी पद भरे हुए हैं।
- जिले में सिकल सेल एनीमिया की जांच हेतु 18 लाख स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 4,46,000 लोगों की जांच की जा चुकी है।

अभी जिले में 1026 पॉजिटीव केस है। जिले में सिकल सेल जांच का सप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम:

- बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि अत्याचार निवरण अधिनियम के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 2022 में 270 प्रकरण, 2023 में 216 प्रकरण, 2024 में 205 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इन सभी प्रकरणों में राहत राशि के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं तथा राहत राशि के वितरण हेतु 7 प्रकरण शेष है एवं बाकि सभी में राहत राशि वितरित की जा चुकी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग:

- बैठक में जानकारी प्रदान की गई है कि वर्ष 2023-24 में लाड़ली लक्ष्मी योजना के 10419 हितग्राही का लक्ष्य पर 9289 हितग्राहियों को ही इस योजना का लाभ दिया गया।
-

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष का उद्भोदन

धार जिले में जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने-अपने विभाग की जानकारी आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रदान की गई उसके पश्चात आयोग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जिला प्रशासन को निर्देश दिया तथा अन्य जानकारी आयोग को भिजवाने को कहा।

- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक को 20 प्रतिशत मार्जिन मनी की सिक्योरिटी देनी पड़ती है इस हेतु इसे कम किया जाये या शून्य किया जाये इसके साथ ही पेन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये।

- जिले में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो पट्टे छूट गये हैं उनकी जांच कर जितनी भूमि पर अनुसूचित जनजाति के लोग कृषि कर रहे हैं उन्हें उतनी भूमि का नियमानुसार पट्टा दिया जाये।
- सामुदायिक दावों का भौतिक सत्यापन किया जाये।
- पेसा अधिनियम को गंभीरता से लेकर लोगों एवं कर्मचारियों में जागरुकता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

संलग्नक: जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

के माननीय अध्यक्ष श्री अंतरसिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, जिला धार (म.प्र.)

प्रतिभागियों की सूची

दिनांक-23/08/2024 स्थान: कलेक्टर कार्यालय, धार

क्र.	नाम	पद	मोबाईल न.	हस्ताक्षर
1	श्री अंतरसिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष		
2	श्री प्रकाश कुमार उईके	सहायक निजी सचिव	9424475410	
3	श्री अंकित कुमार सेन	अनुसंधान अधिकारी	9582710157	
4	श्री अमृत प्रजापति	सलाहकार	7879133393	
5	प्रियंक मिश्रा	जिलाधीश		
6	अशोक कु. सोलंकी	DFO - Dhar	9424792225	
7	Savita Jhaniya	CEO, ZP.	9425919190	
8	ब्रजकान्त शुक्ला	Actw	9993485299	
9	सुभाष जैन	DPO. महिला बाल विकास	9752795255	
10	Dr. Manisha Shinde	CEO JP Dhar	9685170001	
11	M.S. Kushwah	C.E.O J.P. Sardarpur	9926136963	
12	G.S. Mohaniya	DDA - Dhar	7747041361	
13	Dr. S.K. Modi	DAVS Vety.	9713197994	
14	Dr. N.S. Gehlot	CM&HO	7773803135	
15	Pradeep Sharma	P.O. (आत्मा)	9425075057	
16	Dr R.C. Marol	D.A.O (Ayush)	9439940357	

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax : 011-24624628 Email : chairperson@ncst.nic.in

17	विजेन्द्र जनवाल	A.O. कार्या. उपायुक्त सहकारिता जिला धार	94248-13782	
18	मानसिंह डामर	जिला कोषालय अधि.	9630506186	
19	गिरीश वाघमारे	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	9893744038	
20	T.S. Chauhan	A.D.F. Fisheries	8720896810	
21	K.R. Kanude.	CEO. JP. Umarban	8963930280	
22	H.S. BAMNIYA	EE PHE dhar	6232785613	
23	S.S. Jhawiya	E.E. RES. DHAR	95750-55201	
24	Arpna Pandey	NRLM Dhar	8349901478	
25	K.K. Nargunde	mandi sec. dhar	9424333804	
26	Manoj Swarnkar	AM MPRRDA PIU-1 DHAR	96855-80470	
27	J.P. Gautam	AM MPRRDA PIU-2 Kukshi	9826333477	
28	Vikram Deep Sangen	AC Excise, Dhar	7049011789	
29	Hridesh Yadav	R.T.O.	8269297181	
30	Keshav Varma	DPC ZSK	9926060273	
31	Lakshman Devda	D.L.D	9981807722	
32	Atul Kumar Choudhary	DIO, NIC	9899267504	
33	Sachin Logariya	Designated officer Food Safety	9826998250	S.Logoul
34	Anand Tiwari	DSP (AJK),	9425950489	
35	Ashwini Kumar Rawat	ADM Dhar	9425031804	
36	M.S. Chouhan	TL (DDH) Dhar	9993935995	
37	A K Rajoriya	प्राचार्य ITI एवं जिला रोजगार अधिकारी धार	9424855557	
38	Sandeep Dawar	CEO JP Nalchha & Dharampuri	9074717024	

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003

6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

Tel.: 011-24623958 Fax : 011-24624628 Email : chairperson@ncst.nic.in

2

39	आर. के. राजलवाल	आपियाबुद्र पार्टी एन.एफ.ए.बी.	8989984420	[signature]
40	गोविन्द निगवाल	B.P.O.J.P. गंधवानी	88390136[illegible]	[signature]
41	डी.एस. राठौर	B.P.O.J.P. Tirla	9425048292	[signature]
42	नरेन्द्र के गुप्ता	CEOJPManawar	9644789889	[signature]
43	प्रभात त्रिवेदी	CEO जनपद डही	8435769935	[signature]
44	डॉ. आर.एस. परिहार	CEO जनपद बदनावर	9425487235	[signature] 23/8
45	दिलीप नरवार	पेसा जिला समन्वयक	9109402526	[signature]
46	Mukesh Mahiya	SLR Revenue	7581823706	[signature]
47	DINESH KUMAR UIKEY	Tah. Dhar	9407393575	[signature]
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax : 011-24624628 Email : chairperson@ncst.nic.in